Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Service Appeal Case No.- 118 /2024]

Anand Kumar .....Appellant

Versus

The State of Bihar.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	30.06.2025	**आदेश** यह सेवा अपील वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के निलंबन आदेश ज्ञापांक-831/स्था0, दिनांक-23.08.2021, दण्डादेश ज्ञापांक-466/स्था0, दिनांक-01.04.2024 एवं आदेश ज्ञापांक-1008/स्था0, दिनांक-14.09.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। दिनांक-13.06.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Rejoinder/Reply में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों/ LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-100/ले0 का0, दिनांक-30.11.2018 के आलोक में अंचल कार्यालय, सोनवर्षा के लेखा अभिलेखों की जाँच जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा की गई। जाँच में अनियमितता पाये जाने के आलोक में तत्कालीन नाजीर श्री दुर्गा प्रसाद के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप गठित कर कार्रवाई की गई तथा अपीलार्थी श्री आनंद कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक को अंचल कार्यालय, सोनवर्षा के नजारत का प्रभार लेने का आदेश दिया गया। आरोपित कर्मी द्वारा प्रभार लेने के आदेश की अवहेलना तथा अन्य आरोपों के आलोक में आरोपित कर्मी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी का पक्ष सुनकर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें आरोप के 07 बिन्दुओं में से 06 बिन्दु पूर्ण/आंशिक प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर जिला पदाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन दण्डादेश ज्ञापांक 466/स्था0, दिनांक-01.4.2024 द्वारा तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया। आरोपित कर्मी श्री आनंद कुमार का यह कहना कि पूर्व के नाजीर श्री दुर्गा प्रसाद द्वारा उन्हें प्रभार नहीं दिया गया, स्वीकार योग्य नहीं है। चूँकि स्थापित नियमों के अनुसार कार्यालय प्रधान के पर्यवेक्षण में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रोकड़बही साहित वित्तीय अभिलेखों का प्रभार ग्रहण करने में कोई बंधेज नहीं है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि आरोपी कर्मी श्री आनंद कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश की जानबूझ कर अवहेलना की गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा हांलाकि लगाये गये आरोपों से पूर्णतः इंकार किया गया किन्तु अपने निर्दोष होने के दावे के समर्थन में संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। कागजातों के आधार	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा

	30.06.2025	पर नजारत का प्रभार लिये बिना रोकड़ बही का संचालन, रोकड़ बही संचालन में अनियमितता, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर अंकित करना आदि का आरोप प्रमाणित पाया जाता है। जो किसी सरकारी कर्मी के अवचार एवं कदाचार का द्योतक है। अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में अपने बचाव में कोई विधिमान्य उत्तर/स्पष्टीकरण उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में आरोपी कर्मी की ओर से निलंबन अवधि के सापेक्ष वेतन भुगतान के संदर्भ में संगत नियमों के अनुसार अर्हत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। अतः जिला पदाधिकारी, सहरसा -सह- अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से निर्गत उपरोक्त दण्डादेश ज्ञापांक-466/स्था0, दिनांक- 01.04.2024 सहित अन्य संदर्भित आदेश विधिमान्य एवं सही है। जिला पदाधिकारी, सहरसा-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से प्रमाणित आरापों के सापेक्ष दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। LCR के साथ आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। 30/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 30/6/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमंडल, सहरसा